राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	879 / 2016	प्रताप सिंह एवं अन्य	1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रह विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर। 3. पुलिस उप महानिरीक्षक (अध्यक्ष, पात्रता परीक्षा बोर्ड), सशस्त्र बटालियन, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर। 4. कमांडेंट (सचिव, पात्रता परीक्षा बोर्ड), 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 5. मांगी लाल, कांस्टेबल, जेल सुरक्षा, घाट गेट, जयपुर। 6. शिशराम, कांस्टेबल, 149 ए कम्पनी8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 7. जगदेव कुमार, कांस्टेबल, 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 8. लालसिंह, कांस्टेबल, 783, एफ कम्पनी 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली।
2.	2203 / 2016	राजेश कुमार	1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रह विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर। 3. पुलिस उप महानिरीक्षक (अध्यक्ष, पात्रता परीक्षा बोर्ड), सशस्त्र बटालियन, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर। 4. कमांडेंट (सचिव, पात्रता परीक्षा बोर्ड), 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 5. मांगी लाल, कांस्टेबल, जेल सुरक्षा, घाट गेट, जयपुर। 6. शिशराम, कांस्टेबल, 149 ए कम्पनी8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 7. जगदेव कुमार, कांस्टेबल, 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 8. लालसिंह, कांस्टेबल, 783, एफ कम्पनी 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली।
3.	2204 / 2016	मुकेश कुमार	1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रह विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर। 3. पुलिस उप महानिरीक्षक (अध्यक्ष, पात्रता परीक्षा बोर्ड), सशस्त्र बटालियन, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर। 4. कमांडेंट (सचिव, पात्रता परीक्षा बोर्ड), 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 5. मांगी लाल, कांस्टेबल, जेल सुरक्षा, घाट गेट, जयपुर। 6. शिशराम, कांस्टेबल, 149 ए कम्पनी8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 7. जगदेव कुमार, कांस्टेबल, 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 8. लालसिंह, कांस्टेबल, 783, एफ कम्पनी 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली।
4.	2205 / 2016	रोहिताश सिंह	1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रह विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर। 3. पुलिस उप महानिरीक्षक (अध्यक्ष, पात्रता परीक्षा बोर्ड), सशस्त्र बटालियन, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर। 4. कमांडेंट (सचिव, पात्रता परीक्षा बोर्ड), 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली।

			5. मांगी लाल, कांस्टेबल, जेल सुरक्षा, घाट गेट, जयपुर। 6. शिशराम, कांस्टेबल, 149 ए कम्पनी8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 7. जगदेव कुमार, कांस्टेबल, 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली। 8. लालसिंह, कांस्टेबल, 783, एफ कम्पनी 8वीं बटालियन, RAC (IR) गाजीपुर, दिल्ली।

आदेश की दिनांक : 07.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री संदीप गरसा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति एवं चाहा गया अनुतोष समान प्रकार के हैं और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 879/2016 प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग व अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या–4 ने दिनांक 31.12.2015 द्वारा पत्र (अनुलग्नक–1) जारी कर वर्ष 2012–13 की हेड कांस्टेबल (सामान्य) के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु कुल 27 रिक्त पद, जिसमें (2 पद अनुसूचित जाति एवं 25 पद सामान्य वर्ग) के पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने हेतु समस्त कार्मिकों को सूचित कर प्रस्ताव चाहा गया। अपीलार्थी ने कांस्टेबल (सामान्य) के पद पर आवश्यक वर्ष पूरे कर लिए, जैसा कि प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 31.12.2015 के पत्र के माध्यम से अपेक्षित किया था, इसलिए वह पदोन्नति के लिए योग्यात्मक परीक्षा में उपस्थित हुए, जिसका परिणाम दिनांक 28.03.2016 को घोषित किया गया था, जिसमें अपीलार्थीगण को सफल घोषित किया गया, जिसमें अपीलार्थीगण का नाम क्रम संख्या 33 से 37 पर अंकित है (अनुलग्नक–2)। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने कार्यालय आदेश दिनांक 25.4.2016 (अनुलग्नक–3) के तहत चयन बोर्ड द्वारा की गई पदोन्नति की अनुशंषा के अनुसार हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए 27 उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची तैयार की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उक्त सूची में 2 के बजाय एससी (अनुसूचित जाति) के उम्मीदवारों को हेड कांस्टेबल के

पद पर पदोन्नति के लिए एससी वर्ग के 8 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। वर्ष 2012–13 में हेड कांस्टेबल (सामान्य) के बटालियन में 27 पद रिक्त थे, जिसमें 25 पद सामान्य एवं 2 पद एससी वर्ग हेतु आरक्षित थे एवं पदोन्नति हेतु आयोजित प्रक्रिया में आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति की अनुशंषा नहीं कर 8 एससी संवर्ग के अभ्यर्थियों की पदोन्नति कर दी गई, जबकि उनके लिए दो पद ही उपलब्ध है। अतः दिनांक 24.05.2016 का आदेश अवैध, मनमाना एवं गलत होने से अपास्त योग्य है। अन्तिम चयन सूची में सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थी का अनुलग्नक–2 में क्रमांक 32 पर नाम है एवं अपीलार्थीगण का नाम क्रमांक 33 से 37 पर है। अतः एससी संवर्ग के 6 अभ्यर्थियों को पदोन्नति सूची से हटाने पर अपीलार्थी का वरिष्ठता के आधार पदोन्नति होती है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2016 (अनुलग्नक–3) को अपास्त किया जावे। वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरुद्ध हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए 6 अतिरिक्त एससी श्रेणी के उम्मीदवारों को चयन सूची से हटाकर उनके स्थान पर अपीलार्थीगण को उनकी वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि चयन बोर्ड के द्वारा दिनांक 21.04.2016 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा जारी चयन सूची के अन्तर्गत चयन सूची में क्रम सं. 12 पर अंकित श्री अम्मी लाल कानि. 722, क्रम सं. 15 पर श्री मागीलाल कानि. 437 / 160, क्रम सं. 17 पर श्री शीशराम कानि 253/89. क्रम सं. 20 पर श्री जगदेव कुमार कानि. 140, क्रम संख्या 21 पर श्री श्रवण लाल कानि. 293 एवं क्रम सं. 22 पर श्री लाल सिंह कानि 783 जो एस.सी. वर्ग से है, को वरिष्ठता क्रम में नाम उपर होने से सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध चयन सूची पर लिया गया है। महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राज, जयपुर के कार्यालय दिनांक 27.10.2015 की अनुपालना में उक्त 6 हैड कानि. के पदों को आगामी वर्षों में आरक्षित वर्ग (एस.सी.) की रिक्तियों में समायोजित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार नियमों के अन्तर्गत ही एस.सी. वर्ग के दो कर्मी के स्थान पर आठ कर्मियों का चयन किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिकरण में अपील दायर होने पर अपीलार्थी के पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश इस आशय का जारी किया गया कि वर्ष 2012–13 के लिए होने वाली हेड कांस्टेबल की पदोन्नति परीक्षा के लिए अपीलार्थी के लिए एक पद रिक्त रखा जावे। यह पदोन्नति अधिकरण के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

इस अपील में श्री मांगीलाल, श्री शीशराम, श्री जगदेव कुमार एवं श्री लाल सिंह द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इन्हे निजी प्रत्यर्थी क्रमांक 5 से 8 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 से 8 की तरफ से अपील में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 01.04.2012 के संदर्भ में 8 वीं बटालियन RAC के कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक–आर/5/2) में निजी प्रत्यर्थी मांगीलाल की वरिष्ठता क्रम संख्या 66, शीशराम की क्रम संख्या 74, जगदेव कुमार की क्रम संख्या 83 एवं लाल सिंह की क्रम संख्या 93 है। जबकि इस अपील के अपीलार्थी प्रताप सिंह की क्रम संख्या 120 एवं अन्य अपीलों की अपीलार्थी राजेश कुमार की क्रम संख्या 114, मुकेश कुमार की क्रम संख्या 116 एवं रोहिताश सिंह की क्रम संख्या 122 है। इससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी 5 से 8 वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से वरिष्ठ है। इस आधार पर यह राजकीय सेवा में प्रवेश की मूल वरिष्ठता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि जवाब देने वाले प्रत्यर्थी संख्या 5 से 8 अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और वे भारत के संविधान के प्रावधानों और संबंधित सेवा नियमों के तहत प्रदान किए गए सभी प्रकार के आरक्षण के हकदार हैं। 1989 के नियम के नियम 27 के प्रावधान के अनुसार, बोर्ड को तीन गुना से अधिक नामों की गिनती करते हुए सही और पूरी सूची तैयार करनी थी। रिक्ति की संख्या सेवा के सबसे वरिष्ठ पात्र सदस्यों की होनी चाहिए, जिन्होंने नियम 29 में निर्दिष्ट योग्यता परीक्षा का पहला भाग परेड, व्यावहारिक और अन्य आउटडोर परीक्षण में 40 प्रतिशत अंक और लिखित परीक्षा में 45 प्रतिशत के साथ 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण किया हो। संबंधित पद के वर्ग में पदोन्नति के लिए कुल अंक और आगे सूची में शामिल सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेंगे, उन सभी का साक्षात्कार लेंगे और वरिष्ठता के क्रम में उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम की गणना करते हुए एक सूची तैयार करेंगे, जो 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। अर्हक परीक्षा में भाग द्वितीय और अर्हक परीक्षा के कुल अंकों का 50 प्रतिशत योग, भाग एक और द्वितीय में ऐसे पदों की संख्या से डेढ़ गुना तक निर्दिष्ट हैं। दिनांक 01.04. 2012 को कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची के अनुसार जवाब देने वाले प्रत्यर्थी संख्या 5 से 8 अपीलार्थी से वरिष्ठ हैं और उनके पास योग्यता परीक्षा, भाग दूसरे में कुल मिलाकर 45 प्रतिशत से अधिक अंक हैं और योग्यता परीक्षा, भाग पहले और दूसरे के कुल अंकों में से 50 प्रतिशत से अधिक अंक हैं और उन्हें मेरिट सूची में जगह मिली है, इसलिए उन्हें हेड कांस्टेबल सामान्य के पद पर पदोन्नति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2016

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत एवं उचित है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया।

अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2016, जिसके द्वारा आठवीं बटालियन RAC (IR) गाजीपुर दिल्ली में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल (सामान्य) की वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है, को चुनौती दी गई है। विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि वर्ष 2012–13 में हेड कांस्टेबल (सामान्य) के बटालियन में 27 पद रिक्त थे, जिसमें 25 पद सामान्य एवं 2 पद एससी वर्ग हेतु आरक्षित थे एवं पदोन्नति हेतु आयोजित प्रक्रिया में आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति की अनुशंषा नहीं कर 8 एससी संवर्ग के अभ्यर्थियों की पदोन्नति कर दी गई, जबकि उनके लिए दो पद ही उपलब्ध है। एससी संवर्ग के 6 अभ्यर्थियों को पदोन्नति सूची से हटाने पर अपीलार्थी का वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति होती है। अतः आलौच्य आदेश में एससी संवर्ग के 6 अभ्यर्थियों का नाम हटा कर अपीलार्थी का वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति एवं पारिणामिक लाभ का अनुतोष चाहा।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से बहस में प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 21.04.2016 को जारी चयन सूची में एससी संवर्ग के कार्मिकों का नाम वरिष्ठता क्रम में उपर होने से सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध चयन किया है, जो नियमानुसार है। इन 6 हेड कांस्टेबल के पदों को आगामी वर्षों में आरक्षित वर्ग (एससी) की रिक्तियों में समायोजित किया जायेगा। यह कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रदत मार्गदर्शन के आधार पर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 27.10.2015 के आधार पर की गई है। एससी संवर्ग के कार्मिक वरिष्ठ होने के आधार पर नियमानुसार दो कर्मी के स्थान पर आठ कार्मिकों का चयन किया गया है।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 से 8 की तरफ से प्रस्तुत जवाब पर विचार किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि आठवीं बटालियन RAC (IR) दिल्ली में वर्ष 2012–13 के हेड कांस्टेबल (सामान्य) के एससी के 2 एवं

सामान्य के 25 कुल 27 रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई (अनुलग्नक–1), जिसमें लिखित परीक्षा आयोजित कर सफल अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 28.03.2016 को जारी किया गया (अनुलग्नक–2), जिसमें कुल 80 कार्मिक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसमें अपीलार्थी प्रताप सिंह का नाम क्रम संख्या 36 पर है एवं अन्य तीन अपीलों के अपीलार्थीगण राजेश कुमार का क्रम संख्या 34, मुकेश कुमार का क्रम संख्या 35 एवं रोहिताश सिंह का नाम क्रम संख्या 37 पर है। निजी प्रत्यर्थी मांगीलाल का नाम क्रम संख्या 15, शीशराम का नाम क्रम संख्या 17, जगदेव कुमार का नाम क्रम संख्या 20 एवं लालसिंह का नाम क्रम संख्या 22 पर दर्ज है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चयन बोर्ड द्वारा outdoor एवं साक्षात्कार के पश्चात पदोन्नति पाठ्यक्रम (pcc) हेतु चयनित कर्मचारियों की अभिशंषा की गई एवं इस अभिशंषा के आधार पर कमाण्डेन्ट 8 वीं बटालियन RAC (IR) दिल्ली द्वारा पदोन्नति पाठ्यक्रम में चयनित हेड कांस्टेबलों की सूची वरिष्ठता क्रम में आलौच्य आदेश दिनांक 25.04.2016 द्वारा जारी की गई। इस सूची में चयनित 27 कार्मिकों में एससी संवर्ग के 8 कार्मिक शामिल है, जिसको इस अपील में चुनौती दी गई है। एससी वर्ग हेतु मात्र 2 पद उपलब्ध थे। अतः 2 एससी कांस्टेबल को ही इस चयन सूची में शामिल किया जाना था। अतः 6 एससी संवर्ग के कांस्टेबल को इस सूची से हटाया जावे ताकि अपीलार्थी को सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति हो सके।

उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि पदोन्नति हेतु जारी चयन सूची (अनुलग्नक–3) दिनांक 25.04.2016 को अंतिम चयनित व्यक्ति सत्यवान सिंह है एवं लिखित परीक्षा में सफल कांस्टेबल की जारी सूची (अनुलग्नक–2) में सत्यवान सिंह का नाम क्रमांक 32 पर है एवं क्रमांक 34–37 पर अपीलार्थी के नाम है। लिहाजा अपीलार्थी का यह तर्क है कि पदोन्नति चयन सूची में एससी संवर्ग के दो रिक्त पदों के विरूद्ध एससी संवर्ग के दो कांस्टेबल की पदोन्नति की जावे। एससी संवर्ग के 6 अधिक कांस्टेबल को पदोन्नति सूची में सामान्य वर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति देना नियम विरूद्ध है। अतः इन 6 एससी संवर्ग के कांस्टेबल के नाम चयन सूची से हटाये जाकर सामान्य वर्ग के कांस्टेबल को पदोन्नति चयन सूची में शामिल किया जाने पर अपीलार्थी की पदोन्नति होती है।

पत्रावली पर उपलब्ध चयन मंडल के कार्यवाही विवरण (अनुलग्नक–आर/1) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में सम्मिलित 136 अभ्यर्थियों में से 80 को उत्तीर्ण घोषित किया गया। इन सफल 80 अभ्यर्थियों हेतु द्वितीय चरण

की परेड एवं आउटडोर परीक्षा आयोजित की। इसमें सफल अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड एवं साक्षात्कार के आधार पर सफल 27 कांस्टेबल को वरिष्ठता के आधार पर चयन मंडल द्वारा पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु अनुशंषा की गई। इस सूची में सामान्य वर्ग के 19 एवं एससी संवर्ग के 8 कार्मिक शामिल है।

निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत दिनांक 01.04.2012 के संदर्भ में 8 वीं बटालियन RAC के कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक–आर/5/2) में निजी प्रत्यर्थी मांगीलाल की वरिष्ठता क्रम संख्या 66, शीशराम की क्रम संख्या 74, जगदेव कुमार की क्रम संख्या 83 एवं लाल सिंह की क्रम संख्या 93 है। जबकि इस अपील के अपीलार्थी प्रताप सिंह की क्रम संख्या 120 एवं अन्य अपीलों की अपीलार्थी राजेश कुमार की क्रम संख्या 114, मुकेश कुमार की क्रम संख्या 116 एवं रोहिताश सिंह की क्रम संख्या 122 है। इससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी 5 से 8 वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से वरिष्ठ है। कांस्टेबल इस सेवा में प्रवेश का निम्नतम पद है। इस आधार पर यह राजकीय सेवा में प्रवेश की मूल वरिष्ठता है।

विचारणीय विषय यह है कि क्या पदोन्नति में सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को पदोन्नति प्रदान की जा सकती है। अर्थात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एससी संवर्ग के 6 कांस्टेबल को सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध प्रदान की गई पदोन्नति क्या नियमानुसार है?

पदोन्नति हेतु कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में आधिक्य नहीं होगा। परन्तु उक्त स्थिति के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 13.09.2013 द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है, जो निम्नानुसार हैः–

1. **''कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की पालना में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में होगा।**
2. **यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पूर्ण है, तो Theory of replacement लागू होगी तथा उक्त वर्ग का पात्र राजसेवक उक्त वर्ग की रिक्ति पर ही पदोन्नत होगा। 8 या 8 से कम पद की स्थिति में Theory of replacement लागू नहीं होगा। वरन कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 20.111997 के अनुसार शेष रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही होगी।**

3. **परन्तु यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना पारिणामिक वरिष्ठता (Consequential Seniority) का लाभ लिये वरिष्ठ है तथा उसे पदोन्नत नहीं करने पर उससे सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो पहले उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जावेगा। किन्तु भविष्य में कुल पदों की गणना में उसके पद को आरक्षित की श्रेणी में गिना जाकर गणना की जावेगी। यदि आरक्षित वर्ग के किसी वरिष्ठ कार्मिक ने किसी स्तर पर भी पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिया है, तो उसे क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पद रिक्त होने पर ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी। परन्तु यदि सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो उक्त स्थिति में भी उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जायेगा।**

4. **सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुआ है अथवा मैरिट के आधार पर यदि आरक्षण का लाभ लिए बिना चयनित कोई कार्मिक किसी एक स्तर पर पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिए भी हो, तो भी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत हो सकेगा बशर्ते कि आरक्षित श्रेणी में कोई पद रिक्त नहीं हो।**

5. **यदि उपरोक्त प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो तथा कैडर में पद कम हो, तो कैडर को संतुलित (Balance) करने की दृष्टि से अतिरिक्त पद की सृजन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जा सकते है, किन्तु यह स्पष्ट है कि सेवा में प्रवेश के समय का पात्र वरिष्ठ राजसेवक पहले पदोन्नत होगा तथा वरिष्ठता भी उसी की रहेगी।''**

पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इस विषय में मार्ग दर्शन चाहे जाने पर कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन का उल्लेख कर पुलिस मुख्यालय ने समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र दिनांक 27.10.2015 (अनुलग्नक–आर/5/7) द्वारा सूचित किया, जिसमें प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः–

''पदोन्नति हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के क्रम में रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में आधिक्य नहीं होगा। इस काम में राज्य

सरकार से मार्ग दर्शन चाहे जाने पर स्पष्ट किया है कि "नियमानुसार अनुसचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का निर्धारित अभ्यांश 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत पूर्ण हो जाता है और यदि आरक्षित वर्ग का कोई पात्र एवं योग्य राजसेवक अपनी स्वयं की वरिष्ठता (Own Seniority) अर्थात सेवा में प्रवेश (सीधी भर्ती) के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना आरक्षण का लाभ लिये वरिष्ठ है तथा उससे कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग का राजसेवक पदोन्नत होता है तो उक्त आरक्षित वर्ग के राजसेवक को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा। परन्तु आगामी वर्षो में जब आरक्षित वर्ग की रिक्ति आयेगी तो उक्त रिक्ति को अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत आरक्षित वर्ग के कार्मिक के पद में समायोजित कर लिया जायेगा और अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थी को पदोन्नत किया जायेगा ताकि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुरूप 16 एवं 12 प्रतिशत के अनुपात से adequacy का सिद्धान् बरकरार रहे।"

कार्मिक विभाग द्वारा जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को उस संदर्भ में मार्गदर्शन किया जो निजी प्रत्यर्थीगण ने अपने जवाब में सलंग्न किया है (अनुलग्नक आर–5/8) वह निम्नानुसार हैः–

"उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अशा. टीप. के क्रम में अवगत कराया जाता है कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी अपनी स्वयं की वरियता अर्थात् सेवा में प्रवेश के समय की वरियता के आधार पर बिना आरक्षण का लाभ लिये वरिष्ठ होता है लेकिन किसी स्तर पर पारिणामिक वरिष्ठता/ आरक्षण का लाभ ले लिया है तब भी यदि सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता के आधार उससे कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग के राजसेवक की पदोन्नति होती है तो उसे आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अभ्यांश क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत पूर्ण होने अथवा सम्बन्धित रोस्टर बिन्दु से पद भरा होने पर भी अनारक्षित रिक्त पद के विरुद्ध पदोन्नति दी जायेगी तथापि इस वजह से निर्धारित अभ्यांश में होने वाला आधिक्य भविष्य में समायोजित किया जा सकेगा।"

कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 20.10.2000 द्वारा परिपत्र आदेश (अनुलग्नक–आर/5/10) जारी कर इस विषय को स्पष्ट किया हैः–

"So far as reserve posts are concerned they can be filled in by way of promotion of the members of the SC/ST only and no general candidate can be appointed against such reserve posts 'unless on other suitable SC/ST candidate is avallable. But so far as the non-reserved posts are cancerned all candidates whether they are general or SC/ST are to be, considered as per their seniority for these posts and in the event of appointment of SC/ST candidates to such

general posts their number cannot be added and taken into consideration for working out the percentage of reservation. Thus general candidates connot compete for reserve posts whereas reserve --ry candidates can compete for non-reserve posts."

उक्त विवेचन एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जिन एससी सवंर्ग के कार्मिकों को हेड कांस्टेबल (सामान्य) के पद पर पदोन्नत किया है वे अपीलार्थी से राजकीय सेवा में प्रवेश के समय अर्थात मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ है एवं पदोन्नति हेतु चयन बोर्ड द्वारा उन्हें योग्यात्मक परीक्षा में पात्र पाये जाने पर अभिशंषा की गई है। अतः सामान्य वर्ग (एससी) के 6 पदों पर आरक्षित वर्ग के 6 व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान करने की कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि या अनयिमितता नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भविष्य में कुल पदों की गणना में इन पदों को आरक्षित श्रेणी में समायोजित कर इतने ही पद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु उपलब्ध हो जायेंगे।

अतः आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई विधिक आधार नहीं होने से अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिकरण के अन्तरिम स्थगन आदेश को वेकेट किया जाता है।

मूल आदेश इस अपील संख्या 879/2016 प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर व अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपीलों की पत्रावलियों में इस आदेश की एक–एक छाया प्रति संलग्न की जावे।

आदेश आज दिनांक 07.11.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य